

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक-19/07/2019

विषय :- Proposal under Forest (Conservation) Act, 1980 in LWE Districts for diversion of Forest lands (up to 5 ha with tree felling more than 50 trees per hectare) related to Power Substations (4)-General approval under Section-2(ii) of the Forest (Conservation) Act, 1980 in Left Wing Extremism (LWE) affected districts-reg.

प्रसंग :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्र संख्या-FP/JH/Substation/39837/2019/3249 दिनांक-28.06.2019।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं संदर्भ में कहना है कि LWE जिलों में अवस्थित 5 हे० से कम वन भूमि अपयोजन के चार निम्नांकित प्रस्तावों, जिनमें 50 वृक्ष प्रति हेतु से ज्यादा का पातन प्रस्तावित है, को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची को भेजा गया था :-

1. हजारीबाग जिलान्तर्गत केरेडारी प्रखण्ड के पाण्डेयपुरखुर्द में 132/33 K.V ग्रिड सब स्टेशन (GSS) निर्माण (4.04 हे०)।
2. सरायकेला जिलान्तर्गत काण्ड्रा में 132/33 K.V ग्रिड सब स्टेशन निर्माण (2.83 हे०)।
3. चतरा जिलान्तर्गत मौजा-बोंडा, थाना-हंटरगंज में 132/33 K.V ग्रिड सब स्टेशन निर्माण (4.04 हे०)।
4. हजारीबाग जिलान्तर्गत बरही प्रखण्ड के खोदहर ग्राम में 132/33 K.V ग्रिड सब स्टेशन निर्माण (4.04 हे०)।

क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के प्रांसगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उक्त प्रस्तावों पर 40 हे० तक की परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त General Approval के आलोक में राज्य स्तर पर गठित समिति से निर्णय लेने एवं दोगुणे वन भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण से भुगतान करने की अपेक्षा की गई है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक-28.03.2019 को निर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देश के Handbook की कंडिका-4.4 (छायाप्रति संलग्न) में LWE प्रभावित जिलों में राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले Public infrastructure Works के लिए 40 हे० तक की परियोजनाओं के लिए General Approval प्रदान की गई है। उक्त दिशा-निर्देश की कंडिका-4.4.3 निम्नवत् उद्धृत है :-

OLC

“4.4.3- CA is applicable for all such proposals involving area upto 40 ha except for proposals upto 5 ha with less than 50 trees per ha. (For areas upto 5 ha with less than 50 trees the provisions of planting as detailed in Section-3 of Chapter 2 shall be applicable).”

भारत सरकार के दिशा-निदेश की कंडिका-2.3 में CA हेतु equivalent non-forest land तथा उसपर CA की राशि लिए जाने का प्रावधान है।

साथ ही दिशा-निदेश की कंडिका-2.5 में Certain Categories की परियोजनाओं के लिए CA के रूप में अवकृष्ट वन भूमि पर CA की राशि लिए जाने का प्रावधान किया गया है। किन्तु Power Substation के निर्माण (राज्य सरकार की एजेन्सी द्वारा किए जाने की स्थिति में) में अवकृष्ट वन भूमि पर CA की राशि लिए जाने का प्रावधान नहीं है।

वर्णित स्थिति में उपरोक्त चार प्रस्तावों में वन भूमि अपयोजन के लिए CA हेतु चिन्हित गैर वन भूमि का नक्शा (DGPS, KML सहित) अनापत्ति प्रमाण-पत्र, उपयुक्ता प्रमाण-पत्र एवं CA की योजना उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(सुनील कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

व0प0, राँची दिनांक- 19/07/2019

ज्ञापांक- वन भूमि-21/2019- 2717

प्रतिलिपि:- अपर महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (पूर्व मध्य क्षेत्र), बंगला नं0-A-2, श्यामली कॉलोनी, राँची-834002 को उनके कार्यालय के पत्रांक-FP/JH/Substation/39837/2019/3249 दिनांक-28.06.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-वन भूमि (न्याय0)-02/2019- 2717

व0प0, राँची दिनांक- 19/07/2019

प्रतिलिपि:-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी